File No. FINAUD-RPC/1/2022-FINAUD-Finance Department-Part(1) (Computer No. 44650)
/90214/2023

/90214/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
देहरादून : दिनांक : 18 जनवरी, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु 'स्थल चयन समिति' का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

सामान्यतया विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु केवल भूमि की उपलब्धता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और भूमि उपलब्ध हो जाने पर अग्रेत्तर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। भविष्य में कई प्रकरणों में निर्माण कार्य पूरा हो जाने के उपरांत संज्ञान में आता है कि उस स्थल पर भूस्खलन, सुगम मार्ग की अनुपलब्धता, विद्युत/पानी की समस्या आदि है। इससे संबंधित योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और कई प्रकरणों में उसकी उपादेयता भी नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उक्त निर्माण कार्यों में पूंजीगत मद के अंतर्गत आवर्ती व्यय करना पड़ता है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड एवं आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कई ऐसे उद्धरण रेखांकित किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत उसकी उपादेयता कम/ आंशिक ही पाई गई है।

2. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त स्थल चयन के लिए निम्नानुसार **"स्थल चयन समिति (Site Selection Committee)"** का गठन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) ऐसी परियोजनायें, जिनकी निर्माण लागत रू. 10.00 करोड़ तक है :–

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता अन्यून हों – सदस्य
3. संबंधित उपजिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है – सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के सहायक वन सरंक्षक(ACF) – सदस्य
5. संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव
6. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को संबंधित जिलाधिकारी/ प्रशासकीय विभाग के सचिव द्वारा नामित किया जा सकेगा – सदस्य

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत रू. 10.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू. 50.00 करोड़ तक है :–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता से अन्यून हों – सदस्य
4. संबंधित उपजिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है – सदस्य
5. संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव
6. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को संबंधित जिलाधिकारी/ प्रशासकीय विभाग के सचिव द्वारा नामित किया जा सकेगा – सदस्य

(ग) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत रू. 50.00 करोड़ से अधिक है:–

1. मण्डलायुक्त – अध्यक्ष
2. संबंधित जिलाधिकारी – सदस्य
3. वन विभाग के संबंधित वृत्त के वन संरक्षक – सदस्य
4. मण्डलायुक्त द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो मुख्य अभियंता स्तर–02 से अन्यून न हों – सदस्य
5. संबंधित उपजिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है – सदस्य
6. संबंधित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव
7. विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को संबंधित जिलाधिकारी/ प्रशासकीय विभाग के सचिव द्वारा नामित किया जा सकेगा – सदस्य

Generated from eOffice by GOVIND SINGH, PO-FINANCE-GS, PO-FINANCE, Finance Department on 18/01/2023 10:04 AM

Scanned with OKEN Scanner

/90214/2023

3. उपरोक्तानुरूप गठित समितियों हेतु स्थल चयन के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगेः–

(1) "स्थल चयन समिति" संबंधित प्रोजेक्ट के संबंध में स्थल की उपादेयता से संबंधित सभी बिन्दुओं/कारकों यथा, प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिति, सड़क मार्ग की चौड़ाई, कनेक्टिविटी, पार्किंग, यातायात मूल्यांकन/यातायात जमाव (traffic assessment/ congestion), बिजली, पानी की उपलब्धता, स्थल के स्थायित्व एवं भविष्य की आवश्यकता इत्यादि का ध्यान रखेगी।

(2) स्थल चयन समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होने, अतिक्रमण से मुक्त होने आदि को सुनिश्चित करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण आदि प्रक्रिया योजना का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व सम्पन्न कर लिए जाने की स्थिति का भी आंकलन किया जायेगा।

(3) प्रत्येक प्रोजेक्ट के संदर्भ में स्थल चयन रिपोर्ट में उपरोक्त बिन्दु 3(1) तथा 3(1) के संबंध में स्थल चयन समिति द्वारा आख्या उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) किसी विभाग का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर "स्थल चयन समिति" द्वारा स्थल चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेकर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेगी।

(5) परियोजना की प्रकृति के अनुसार भूमि/स्थान की उपयुक्तता के आधार पर समिति राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भूमि के अतिरिक्त वन भूमि अथवा निजी भूमि के संबंध में भी स्थल चयन कर अपनी संस्तुति दे सकती है।

(6) प्रत्येक प्रोजेक्ट के साथ स्थल चयन समिति की आख्या संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

(7) उपरोक्तानुसार गठित समितियों द्वारा स्थल चयन के संबंध में रिपोर्ट में उपयुक्तता के कारणों का भी उल्लेख किया जाना होगा।

(8) प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्थल चयन समिति वरीयता के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के स्थलों का चयन कर उसके कारणों सहित अपना मंतव्य देगी।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

5. उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 10-01-2023 20:28:34

(डॉ. सुखबीर सिंह संधु)
मुख्य सचिव

संख्या 90214/XXVII(1)/2022 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, देहरादून ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबंधक, मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Generated from eOffice by GOVIND SINGH, PO-FINANCE-GS, PO-FINANCE, Finance Department on 18/01/2023 10:04 AM

Scanned with OKEN Scanner